तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
02.6.15	आज पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प नादपुर में प्रस्तुत हुई। अपीलान्ट उर्मिला पुत्री हल्ला पत्नी बनवारी तथा मंजू पुत्री हल्ला पत्नी ब्रज मोहन जाति जांगिड ब्राह्मण नि. उदपुरी तह. नगर ने रेस्पोडेन्ट योगेश युवराज पिता० मोहनलाल एवं अंगूरी बेवा (योगेश) हल्ला जाति जांगिड ब्राह्मण नि. उदपुरी तह. नगर के विरुद्ध नामा० नं. 701 ग्राम उदपुरी निर्णय दिनांक 20.5.11 द्वारा सरपंच लादपुरी से आक्षेपित होकर इस आशय की प्रस्तुत की है कि उनके पिता हल्ला पुत्र फकीर कौम जांगिड ब्राह्मण नि. उदपुरी तह. नगर की मृत्यु हो चुकी है जिसकी विरासत का इ. नं. हल्ला के स्थान पर पु. अंगूरी बेवा हल्ला, उर्मिला, मंजू, योगेश पुत्र हल्ला नहीं दर्ज किया था जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा फर्जी वसीयत तैयार करा कर सरपंच ग्रा.पं. उदपुरी से मिलकर गैरकानूनी तरीके से अपने नाम दाखिल खारिज तस्दीक करा लिया जबकि विवादित भूमि अपीलांट के पिता की रही है अतः उक्त दा. खा. निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में निवेदन किया है कि आदेश दि. 20.5.11 सरपंच ग्रा.पं. लादपुरी तह. नगर निरस्त फरमाया जाकर उक्त दाखिल खारिज अपीलान्ट एवं रेस्पो. नं. 3 के हक में खोले जाने के आदेश प्रदान करें।
	रेस्पोडेन्ट [illegible] पत्रावली के उपलब्ध [illegible] नामा. का अवलोकन किया। ना. नं 701 ग्राम उदपुरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह नामांतरण पटवारी हल्का [illegible]
	— क्रमशः

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 12:18:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उर्मिला वगै. प्रमोद वगैरह
अपील नं. 3/11

6

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मृतक रूपला पुत्र मोहन की विरासत का दर्ज किया गया है. पीठासीन बनाये गये सजरा के अनुसार रूपला के वारिसान में उसकी पत्नी अंगूरी तथा दो पुत्री उर्मिला व मंजू को दर्शाया गया है जिसकी जांच एवं अधि. निरीक्षक द्वारा की जाकर सही पाया गया / सरपंच ग्राम पं. लाडपुरी प.स. नगर ने अपना नामान्तरकरण का दिनांक 20.5.11 को निर्णय पारित कर अंकित किया है कि ---- पुत्र. उर्मिला, पुत्री मंजू एवं मंजू पत्नी अंगूरी के द्वारा कोई प्रमाण पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह रकबा पुश्तैनी है जबकि मृतक के भतीजा के लड़के प्रमोद व पुखराज पुत्र मोहनलाल जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी लाडपुरी जिनका मौके पर रूपला की भूमि पर कब्जा है ने एक रजिस्टर्ड वसीयत पेश की है. अतः मृतक रूपला के स्थान पर प्रमोद व पुखराज के नाम पर खा. स्वीकृत किया जाता है" उक्त विवेचन से यह साबित होता है कि अपीलांट ने तथा कथित वसीयत की बाबत सरपंच ग्रा. पं. लाडपुरी के सामने आपत्ति प्रकट की जिसकी बाबत सरपंच द्वारा कोई गौर न करते हुए विवादित नामां. का निर्णय कर कानूनी भूल की है, क्योंकि विवादास्पद नामान्तरण के निस्तारण करने का अधिकार तहसीलदार (सक्षम अधिकारी) को है न कि ग्राम पंचायत को। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा ग्रा. पं. लाडपुरी का निर्णय [illegible] 20.5.11 निरस्त किया जाकर नामां. [illegible] तहसीलदार नगर को [illegible] जाता है कि उक्त [illegible] का नामान्तरण का निस्तारण करें। [illegible] सं. 701 निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार नगर को लौटाया जावे। पत्रावली बाद [illegible] दा. दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 12:18:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner